

तारीख हुक्म

7  
4/1/18

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जगदीश प्रसन्न रावेश्याम

28/9/18

पत्रावली पेश हुई।  
राज्याभिप्रेत आदेश  
की दिनांक

29/9/18

हो। ✓

29/9/18

पत्रावली पेश हुई। वकील उममपका इपण  
शुद्धि प्रसन्न दावे का निस्तारण किया जा  
रूका है। कान प्रकरण का कोई औचित्य  
नहीं है।

अतः प्राथमिक का प्रथम पत्र अस्वार्थ  
निष्पत्त्या खारिज किया जाता है। पत्रावली  
केवल मुकदमे नंबर से कम है।  
निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाऊँगा शामिल  
पत्रावली किया गया।

उपस्थान अधिकारी  
एवं उपस्थान नजिरुद  
नामक सचिव (वैसा)

